

खंडों पर टिप्पण

आय-कर

ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है,—

1,90,000 रुपए तक	कुछ नहीं
1,90,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
8,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत ।

ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष की या अधिक की आयु का है,—

2,40,000 रुपए तक	कुछ नहीं
2,40,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
8,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत ।

पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क में आने वाले व्यक्तियों की दशा में, कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ।

इस भाग का पैरा ख प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है । ऐसी दशाओं में, आय-कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2010-2011 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं । कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ।

इस भाग का पैरा ग प्रत्येक फर्म की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है । ऐसी दशाओं में, आय-कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2010-2011 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं । अब कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ।

इस भाग का पैरा घ प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है । ऐसी दशाओं में, कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2010-2011 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं । कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ।

इस भाग का पैरा ङ कंपनियों की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है । ऐसी दशाओं में, कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2010-2011 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं ।

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए ऐसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिभार पूर्व में दस प्रतिशत की विद्यमान दर से कम करके साढ़े सात प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया जाता है । मार्जिन राहत प्रदान की जाएगी । देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में, अधिभार ढाई प्रतिशत की दर से और ऐसी शर्तों के अधीन, जो निर्धारण वर्ष 2010-2011 के लिए लागू थी, उद्गृहीत किया जाता रहेगा ।

सभी अन्य मामलों (धारा 115अख, धारा 115ण, धारा 115द, आदि), में जहां अधिभार दस प्रतिशत की दर से लागू था, ऐसा अधिभार साढ़े सात प्रतिशत की दर से लागू होगा ।

पहली अनुसूची के भाग 3 के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों में दो प्रतिशत की दर से “शिक्षा उपकर” और एक प्रतिशत की दर से “माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर” उद्गृहीत किया जाता रहेगा । पहली अनुसूची के भाग 2 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, देशी कंपनी और ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है, स्रोत से कटौती किए गए या संगृहीत कर पर कोई शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर का उद्ग्रहण नहीं किया जाएगा । तथापि दोनों उपकर, वेतन भुगतानों की दशा में स्रोत पर

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित खंड 2 वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर आय-कर निर्धारण वर्ष 2010-2011 के लिए कर से प्रभार्य आय पर उद्गृहीत किया जाना है । इसके अतिरिक्त, यह खंड उन दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान “वेतन” से भिन्न ऐसी आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, जो आय-कर अधिनियम के अधीन कटौतियों के अधीन रहते हुए है और उन दरों को भी, जिन पर वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए “अग्रिम कर” का संदाय किया जाना है, “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करता है ।

निर्धारण वर्ष 2010-2011 के लिए आय-कर की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 1, आय-कर की वे दरें विनिर्दिष्ट करता है जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2010-2011 के लिए कर के दायित्वाधीन है । ये वे ही दरें हैं, जो वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान “वेतन” से स्रोत पर कर की कटौती करने, “अग्रिम कर” की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई थीं ।

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान “वेतन” से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 2, वे दरें विनिर्दिष्ट करता है, जिन पर, “वेतन” से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है । वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजन के लिए दरें वही हैं, जो वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की पहली अनुसूची के भाग 2 में, यथाविनिर्दिष्ट हैं ।

इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम में, देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ढाई प्रतिशत की दर से, अधिभार बढ़ा दिया जाएगा । सभी अन्य दशाओं में, स्रोत पर कटौती किए गए कर पर कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान “वेतन” से स्रोत पर कर की कटौती करने, “अग्रिम कर” की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए वे दरें, जिन पर “वेतन” से स्रोत पर आय-कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और वे दरें भी, जिन पर “अग्रिम कर” का संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाना है, विनिर्दिष्ट करता है ।

इस भाग का पैरा क प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे भाग 3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है । ऐसे मामलों में, आय-कर छूट की सीमा वही बनी रहेगी, आय-कर की दरें भी वही बनी रहेंगी, तथापि, कर स्लैबों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है :—

1,60,000 रुपए तक	कुछ नहीं
1,60,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
8,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत ।

कटौती किए गए कर के संबंध में लागू रहेंगे। ये भारत में अनिवासी व्यक्तियों और देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों के मामले में भी उद्गृहीत किए जाते रहेंगे।

खंड 3 आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा के खंड (15) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध “पूर्त प्रयोजन” को, इस प्रकार परिभाषित करता है कि उसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ, “सामान्य लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना” भी है। उक्त खंड का परंतुक यह उपबंध करता है कि “सामान्य लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना” पूर्त प्रयोजन नहीं होगा यदि उसमें व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति के किसी क्रियाकलाप या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए किया जाना सम्मिलित है, भले ही ऐसे क्रियाकलाप से आय के उपयोग या उपयोजन या प्रतिधारण की कोई भी प्रकृति हो।

उपखंड (क), उक्त खंड (15) का उसमें दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें यह उपबंध किया जा सके कि पहला परंतुक उस दशा में लागू नहीं होगा, यदि पहले परंतुक में निर्दिष्ट क्रियाकलापों से प्राप्तियों का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वर्ष में दस लाख रुपए या कम है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

पूर्वोक्त धारा के खंड (24) के उपखंड (xv) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vii) में निर्दिष्ट कोई धनराशि या संपत्ति का मूल्य “आय” की परिभाषा के भीतर आएगा।

उपखंड (ख) में उक्त उपखंड (xv) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उसमें धारा 56 की उपधारा (2) के प्रस्तावित खंड (vii) में निर्दिष्ट संपत्ति के मूल्य का भी निर्देश किया जा सके। यह संशोधन विधेयक के खंड 21 के उपखंड (ख) द्वारा किए गए संशोधन का पारिणामिक है।

यह संशोधन 1 जून, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 4 आय-कर अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई आय से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि शंकाओं को दूर करने के लिए उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी अनिवासी की आय उपधारा (1) के खंड (v) या खंड (vi) या खंड (vii) के अधीन भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाती है, वहां ऐसी आय अनिवासी की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी, चाहे, अनिवासी का भारत में कोई निवास या कारबार का स्थान या कारबार संबंध हो अथवा नहीं।

उक्त स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि अनिवासी की आय उपधारा (1) के खंड (v), खंड (vi) या खंड (vii) के अधीन भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी और अनिवासी की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी, चाहे,—

(i) अनिवासी का भारत में कोई निवास या कारबार का स्थान या कारबार संबंध हो अथवा नहीं ; या

(ii) अनिवासी ने भारत में सेवाएं प्रदान की हों अथवा नहीं।

यह संशोधन 1 जून, 1976 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1977-1978 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 5 आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो ऐसी आय, जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा के खंड (21) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय की संगणना करने में धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजन के लिए तत्समय अनुमोदित किसी वैज्ञानिक अनुसंधान संगम की कोई आय सम्मिलित नहीं की जाती है।

पूर्वोक्त धारा के खंड (21) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि उसे ऐसे किसी अनुसंधान संगम को भी लागू किया जा सके, जिसका उद्देश्य समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान करना है, परंतु ऐसा अनुसंधान संगम धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अधीन अनुमोदित और अधिसूचित किया गया हो। परिणामस्वरूप, ऐसे संगमों की आय उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 6 आय-कर अधिनियम की धारा 10कक का संशोधन करने के लिए है, जो विशेष आर्थिक जोनों में स्थापित नई यूनिटों की बाबत विशेष उपबंधों से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (7) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जैसा वे वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की धारा 6 के प्रवृत्त होने के पहले थे, वस्तुओं या चीजों या सेवाओं के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ वह रकम होगी जिसका ऐसे उपक्रम के, जो यूनिट है, कारबार के लाभ से वही अनुपात है, जो ऐसी वस्तुओं या चीजों या सेवाओं की बाबत निर्यात आवर्त का निर्धारिती द्वारा किए जा रहे कारबार के कुल आवर्त से है।

पूर्वोक्त उपबंध का वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की धारा 6 द्वारा संशोधन किया गया है जिससे कि “निर्धारिती” के प्रतिनिर्देश को “उपक्रम” शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके। उक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

पूर्वोक्त उपधारा (7) में परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त संशोधित उपधारा के उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2006 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए प्रभावी बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 7 आय-कर अधिनियम की धारा 12कक का संशोधन करने के लिए है, जो किसी न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था के, उपधारा (1) के अधीन जिसका रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है, क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं अथवा न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं तो आयुक्त, उक्त न्यास या संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने वाला आदेश लिखित में पारित करेगा।

उक्त उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि जहां किसी न्यास या संस्था ने धारा 12क संशोधन के पूर्व उस के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है, रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए भी उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2010 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 8 आय-कर अधिनियम की धारा 32 का संशोधन करने के लिए है जो अवक्षयण से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि उत्तराधिकार या समामेलन की दशा में, पूर्वाधिकारी और उत्तराधिकारी कारबार अस्तित्वों को अनुज्ञेय संकलित अवक्षयण किसी पूर्ववर्ष में विहित दरों पर अनुज्ञेय कटौती से इस प्रकार अधिक नहीं होगा मानो उत्तराधिकार या समामेलन हुआ ही न हो और ऐसी कटौती दोनों अस्तित्वों के बीच ऐसे दिनों की संख्या के अनुपात में जिनके लिए आस्तियों का उनके द्वारा उपयोग किया गया था, प्रभाजित की जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के पांचवें परंतुक में यह उपबंध करने के लिए खंड (xiiiख) के प्रतिनिर्देश करने का प्रस्ताव है कि किसी प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी के उत्तराधिकार की दशा में, पूर्वाधिकारी कंपनी और उत्तराधिकारी सीमित दायित्व भागीदारी को अनुज्ञेय संकलित अवक्षयण किसी पूर्ववर्ष में विहित दर पर परिकलित कटौती से इस प्रकार अधिक नहीं होगा, मानो उत्तराधिकार हुआ ही न हो ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 9 आय-कर अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है जो अनुसंधान पर व्यय से संबंधित है ।

खंड 9 का उपखंड (i), पूर्वोक्त धारा 35 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, जिनका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना है, या किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अन्य संस्था को संदत्त किसी रकम के एक सौ पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक अधिमानी कटौती के लिए उपबंध करते हैं ।

उपखंड (i) की मद (ख) उक्त खंड (ii) का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जिससे कि उक्त अधिमानी कटौती को एक सौ पच्चीस प्रतिशत से बढ़ाकर एक सौ पचहत्तर प्रतिशत किया जा सके ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (iii) यह उपबंध करता है कि समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाने वाले किसी अनुमोदित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था को किए गए अभिदायों की बाबत अधिमानी कटौतियां अनुज्ञात की जाएंगी ।

उपखंड (i) की मद (ग) पूर्वोक्त उपधारा के खंड (iii) का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जिससे कि ऐसे अनुसंधान संगमों को भी सम्मिलित किया जा सके, जिनके अपने उद्देश्यों के रूप में समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान करना है, यदि ऐसे अनुसंधान संगम अनुमोदित और अधिसूचित किए गए हैं । तदनुसार, ऐसे अनुसंधान संगमों को संदत्त कोई राशि अधिमानी कटौतियों के लिए पात्र होगी ।

खंड 9 का उपखंड (ii), पूर्वोक्त धारा 35 की उपधारा (2कक) का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2कक) के खंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध किसी अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त किसी राशि के एक सौ पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक अधिमानी कटौती के लिए उपबंध करते हैं ।

उक्त खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त अधिमानी कटौती को एक सौ पच्चीस प्रतिशत से बढ़ाकर एक सौ पचहत्तर प्रतिशत किया जा सके ।

खंड 9 का उपखंड (iii), पूर्वोक्त धारा 35 की उपधारा (2कख) का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2कख) के खंड (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध किसी कंपनी द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान या अनुमोदित आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर उपगत व्यय के एक सौ पच्चीस प्रतिशत की अधिमानी कटौती के लिए उपबंध करते हैं ।

उक्त खंड (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त अधिमानी कटौती को एक सौ पचास प्रतिशत से बढ़ाकर दो सौ प्रतिशत किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 10 आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ का संशोधन करने के लिए है जो विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी विनिर्दिष्ट कारबार के लिए वर्ष के दौरान पूर्णतः या अनन्यतः उपगत पूंजी प्रकृति के व्यय की बाबत कटौतियां अनुज्ञात की गई हैं । उक्त धारा की उपधारा (8) के खंड (ग) में “विनिर्दिष्ट कारबार” पद को परिभाषित किया गया है । विनिर्दिष्ट कारबार में, अन्य बातों के साथ-साथ, वितरण के लिए क्रॉस कंट्री प्राकृतिक गैस या कच्चा या पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाना और प्रचालन करना, जिसके अंतर्गत भंडारण सुविधाएं भी हैं, जो ऐसे नेटवर्क का आंतरिक भाग हैं, भी हैं । ऐसी शर्तें जो विनिर्दिष्ट कारबार को लागू होंगी पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में अधिकथित हैं । इन शर्तों में से एक यह है कि पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट कारबार, जिसने निर्धारित या किसी सहयुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा सामान्य वाहक आधार पर उपयोग के लिए उपलब्ध अपनी कुल पाइपलाइन क्षमता को एक तिहाई से अन्यून किया है, पूर्वोक्त धारा के अधीन कटौती का पात्र होगा ।

उपखंड (क) पूर्वोक्त धारा 35कघ की उपधारा (2) के खंड (iii) के उपखंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सामान्य वाहक आधार पर उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली कुल पाइपलाइन क्षमता का अनुपात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट होना चाहिए ।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्व वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

पूर्वोक्त धारा 35कघ की उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि निर्धारित को “ग—कतिपय आय की बाबत कटौती” शीर्षक के अधीन अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

खंड (ख) पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किसी निर्धारण वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट कारबार की बाबत किया गया है और अनुज्ञात किया गया है, वहां कोई कटौती, उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में “ग—कतिपय आय की बाबत कटौती” शीर्षक के अधीन अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

पूर्वोक्त धारा 35कघ की उपधारा (5) विनिर्दिष्ट कारबार के प्रारम्भ की तारीख की बाबत शर्तें विहित करती है।

उपखंड (ग), पूर्वोक्त धारा की उपधारा (5) का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है जिससे यह उपबंध करने के लिए नया खंड (कक) अंतःस्थापित किया जा सके कि केंद्रीय सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत नए दो-सितारा या उससे ऊपर के प्रवर्ग के किसी नए होटल के निर्माण और प्रचालन की प्रकृति के विनिर्दिष्ट कारबार 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् अपना प्रचालन प्रारंभ करें।

पूर्वोक्त धारा 35कघ की उपधारा (8) का खंड (ग) के विद्यमान उपबंध "विनिर्दिष्ट कारबार" पद को कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए शीत सुविधा श्रृंखला, भांडागारण सुविधा, कारबार की स्थापना और प्रचालन तथा क्रास कन्द्री, प्राकृतिक गैस या कच्चा तेल या पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने और प्रचालन करने के कारबार के अर्थ में परिभाषित करते हैं।

खंड (घ) पूर्वोक्त धारा की उपधारा (8) के खंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है जिससे केंद्रीय सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत दो-सितारा या अधिक प्रवर्ग के नए होटल के निर्माण और प्रचालन करने से संबंधित कारबार को विनिर्दिष्ट कारबार की परिधि के भीतर लाया जा सके।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात् वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 11 आय-कर अधिनियम की धारा 35घक का संशोधन करने के लिए है जो स्वेच्छया सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन उपगत व्यय के क्रमिक अपाकरण से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां कोई निर्धारित किसी पूर्ववर्ष में स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम के अधीन किसी कर्मचारी को उसकी स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के समय किसी रकम के संदाय के रूप में कोई व्यय उपगत करता है वहां इस प्रकार संदत्त रकम के एक बटा पांच की कटौती उस पूर्ववर्ष के लिए कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में की जाएगी और शेष की कटौती चार ठीक उत्तरवर्ती के पूर्ववर्षों में से प्रत्येक के लिए समान किस्तों में की जाएगी।

उपखंड (क) पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है जिससे यह उपबंध करने के लिए एक नई उपधारा (4क) को अंतःस्थापित किया जा सके कि जहां किसी प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी का किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा उत्तराधिकार की दशा में, उक्त धारा के उपबंध उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी को ऐसे लागू होंगे, जैसे वह पूर्ववर्ती कंपनी को लागू हुए होते।

उपखंड (ख) पूर्वोक्त धारा की उपधारा (5) का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे संपरिवर्तन की दशा में, पूर्ववर्ती कंपनी को उस पूर्ववर्ष में, जिसमें संपरिवर्तन होता है, उक्त धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात् वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 12 आय-कर अधिनियम की धारा 40 का संशोधन करने के लिए है जो कटौती न करने योग्य रकमों से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (i) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी निवासी को ब्याज, वृत्तिक सेवाओं के लिए कमीशन या दलाली, फीस, किराए, स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के संदाय या

किसी ठेकेदार या उप ठेकेदार को, जो निवासी है, संदेय रकमों पर कर की कटौती न किए जाने या कटौती के पश्चात् कर के असंदाय का परिणाम संदायकर्ता की उस आय की संगणना में उक्त राशि का अनुज्ञात न किया जाना होता है, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती की जानी अपेक्षित है।

उक्त उपखंड का परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां ऐसी किसी राशि के संबंध में कर की किसी पश्चात् वर्ष में कटौती की गई है या पूर्ववर्ष के अंतिम मास के दौरान कटौती की गई है, किन्तु उसका संदाय विवरणी फाइल करने की नियत तारीख के पश्चात् किया जाता है या पूर्ववर्ष के किसी अन्य मास के दौरान कटौती की गई है किन्तु उसका संदाय उक्त पूर्ववर्ष के अंत के पश्चात् किया गया है, वहां ऐसी राशि को उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसा कर संदत्त किया गया है, आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

पूर्वोक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपखंड के अधीन नामंजूरी तभी होगी यदि पूर्ववर्ष के दौरान कर की कटौती के पश्चात् धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व उसका संदाय नहीं किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात् वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 13 आय-कर अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है जो कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से होने वाली आय से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त उपधारा के खंड (1) के स्पष्टीकरण 13 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि किसी पूंजी आस्ति की वास्तविक लागत को, जिस पर धारा 35कघ के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है या अनुज्ञेय है, विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में "शून्य" माना जाएगा।

उपखंड (क) के उक्त स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (iii) में धारा 47 के "खंड (xiii)ख" निर्देश करने का प्रस्ताव करता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा उत्तराधिकार की दशा में, ऐसी पूंजी आस्तियों की वास्तविक लागत को, जिन पर पूर्वाधिकारी कंपनी को धारा 35कघ के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, 'कुछ नहीं' माना जाएगा।

पूर्वोक्त धारा का खंड (6) 'अवलिखित मूल्य' पद को परिभाषित करता है।

उपखंड (ख) पूर्वोक्त धारा के खंड (6) का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है ताकि उक्त खंड (6) में एक नया स्पष्टीकरण 2ग अंतःस्थापित किया जा सके जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा उत्तराधिकार की दशा में, उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, आस्ति समूह की वास्तविक लागत आस्ति समूह की वह अवलिखित लागत होगी जो संपरिवर्तन की तारीख को पूर्वाधिकारी कंपनी की दशा में थी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात् वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 14 आय-कर अधिनियम की धारा 44कख का संशोधन करने के लिए है जो वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध कारबार चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, यदि पूर्ववर्ष के लिए कारबार में कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां चालीस लाख रुपए से अधिक हैं तो विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व लेखापाल द्वारा निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ती वर्ष के अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराने को बाध्यकर बनाते हैं ।

उक्त सीमा को चालीस लाख रुपए से बढ़ाकर साठ लाख रुपए करने का प्रस्ताव है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध वृत्ति चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, यदि पूर्ववर्ष के लिए वृत्ति में उसकी सकल प्राप्तियां दस लाख रुपए से अधिक हैं तो उक्त विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व लेखापाल द्वारा निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ती वर्ष के अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराने को बाध्यकर बनाते हैं ।

उक्त सीमा को दस लाख रुपए से बढ़ाकर पन्द्रह लाख रुपए करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 15 आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ का संशोधन करने के लिए है जो उपधारणा के आधार पर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (ख) का विद्यमान उपखंड (ii) “पात्र कारबार” पद को धारा 44कड में निर्दिष्ट माल वाहनों को चलाने, भाड़े पर या पट्टे पर देने के कारबार के सिवाय किसी कारबार के अर्थ में परिभाषित करता है और उपधारणा के आधार पर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, जिसके कुल आवर्त या पूर्ववर्ष में सकल प्राप्तियां चालीस लाख रुपए की रकम से अधिक नहीं हैं ।

उक्त सीमा को चालीस लाख रुपए से बढ़ाकर साठ लाख रुपए करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 16 आय-कर अधिनियम की धारा 44खख का संशोधन करने के लिए है, जो खनिज तेलों की खोज, आदि के कारबार के संबंध में लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसे अनिवासी निर्धारिती की, जो खनिज तेलों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन के संबंध में सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करने के या उक्त कार्य के लिए उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी किराए पर देने के कारबार में लगा हुआ है, आय की संगणना, निर्धारिती को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को, चाहे भारत में या भारत से बाहर, ऐसी सेवाओं और सुविधाओं के उपबंधों मद्दे संदत्त या संदेय कुल रकमों के दस प्रतिशत पर की जाती है । उक्त उपधारा का परंतुक यह उपबंध करता है कि उक्त उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी, जहां धारा 42 या धारा 44घ या धारा 115क या धारा 293क के उपबंध उन धाराओं में निर्दिष्ट लाभ या अभिलाभ या किसी अन्य आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

उक्त उपधारा (1) के परंतुक में, “धारा 44घक” का निर्देश अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि यह स्पष्ट करने के लिए उपबंध किया जा सके कि धारा 44खख के उपबंध उन दशाओं में भी लागू नहीं होंगे, जहां धारा 44घक के उपबंध लागू होते हैं ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 17 आय-कर अधिनियम की धारा 44घक का संशोधन करने के लिए है जो अनिवासियों की दशा में स्वामिस्व आदि के रूप में आय की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

विद्यमान धारा 44घक स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या स्वामिस्व के रूप में आय की संगणना की प्रक्रिया का उपबंध करती है यदि ऐसी आय को उद्भूत करने का अधिकार, संपत्ति या संविदा उस अनिवासी के स्थायी स्थापन से प्रभावी रूप से संबंधित है जिसके माध्यम से भारत में कारबार किया जाता है ।

उक्त धारा में दूसरा परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि धारा 44खख के उपबंध पूर्वोक्त धारा 44घक में निर्दिष्ट आय की बाबत लागू नहीं होंगे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 18 आय-कर अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है जो अंतरण न समझे जाने वाले संव्यवहार से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि आय-कर अधिनियम की धारा 45 के प्रयोजन के लिए कतिपय संव्यवहारों को अंतरण नहीं समझा जाता है ।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि धारा 47 में एक नया खंड (xiiiख) अंतःस्थापित किया जा सके जो यह उपबंध करता है कि जहां किसी प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंपनी कहा गया है) को सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 56 या धारा 57 के उपबंधों के अनुसार किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित किया जाता है वहां कंपनी द्वारा पूंजी आस्ति या अमूर्त आस्ति के किसी अंतरण को धारा 45 के अधीन अंतरण नहीं समझा जाएगा ।

उक्त खंड में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जो यह उपबंध करता है कि (क) संपरिवर्तन के ठीक पूर्व कंपनी की सभी आस्तियां और दायित्व सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियां और दायित्व बन जाएंगे; (ख) संपरिवर्तन के ठीक पूर्व कंपनी के सभी शेरधारक, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार बन जाएंगे और सीमित दायित्व भागीदारी में उनके पूंजी अभिदाय और लाभ में हिस्सा बंटाने का अनुपात उसी अनुपात में हो जो संपरिवर्तन की तारीख को कंपनी में उनके हिस्सा बंटाने का अनुपात था ; (ग) कंपनी के शेरधारक सीमित दायित्व भागीदारी में लाभों और पूंजी अभिदायों में शेर के रूप से भिन्न किसी रूप या रीति में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिफल या फायदा प्राप्त नहीं करते हों ; (घ) सीमित दायित्व भागीदारी में कंपनी के शेरधारकों के लाभ में हिस्सा बंटाने के अनुपात का योग संपरिवर्तन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय पचास प्रतिशत से कम नहीं होगा ; (ङ) उस पूर्ववर्ष के, जिसमें संपरिवर्तन हुआ है पूर्ववर्ती तीन पूर्ववर्षों में से किसी वर्ष में कंपनी के कारबार का कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां साठ लाख रुपए से अधिक नहीं हैं ; और (च) संपरिवर्तन की तारीख को, कंपनी में खातों में विद्यमान संचित लाभ के अतिशेष में से किसी भागीदार को संपरिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए कोई रकम, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संदत्त नहीं की गई है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 19 आय-कर अधिनियम की धारा 47क का संशोधन करने के लिए है जो कुछ दशाओं में छूट को वापस लिए जाने से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे नई उपधारा (4) अंतःस्थापित की जा सके, जो यह उपबंध करती है कि जहां धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में बताई गई शर्तों में से किसी शर्त का पालन नहीं किया जाता है, वहां उत्तराधिकारी के आधार पर उत्तराधिकारी सीमित दायित्व भागीदारी को पूर्ववर्ती प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी द्वारा पूंजी आस्तियों के अंतरण से उद्भूत लाभों या अभिलाभों की रकम को उस पूर्ववर्ष के लिए उत्तराधिकारी सीमित दायित्व भागीदारी के कर से प्रभार्य लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा जिसमें धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में बताई गई शर्तों का पालन नहीं किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 20 आय-कर अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है जो अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रति निर्देश से लागत से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि कतिपय परिस्थितियों में आस्तियों के अर्जन की लागत को ऐसी लागत समझा जाएगा, जिसके लिए आस्ति के पूर्वतन स्वामी ने इसे अर्जित किया था।

उपखंड (क) पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (ड) का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, जिससे उक्त उपखंड (ड) में धारा 47 के खंड (xiiiख) का निर्देश यह उपबंध करने के लिए किया जा सके कि सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी के उत्तराधिकारी की दशा में उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी के लिए आस्तियों के अर्जन की लागत को वह लागत समझा जाएगा, जिसके लिए पूर्ववर्ती कंपनी द्वारा इसे अर्जित किया गया था।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

धारा 49 की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन जहां किसी संपत्ति के अंतरण से पूंजी अभिलाभ प्रोद्भूत होता है, जिसका मूल्य धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vii) के अधीन आय-कर के अध्यक्षीन रहा है, ऐसी संपत्ति के अर्जन की लागत को वह मूल्य समझा जाएगा, जिसे उक्त खंड (vii) के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया गया है।

उपखंड (ख) पूर्वोक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है जिससे कि ऐसी संपत्ति के अर्जन की लागत को वह मूल्य समझा जाएगा, जिसे धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiक) के प्रयोजन के लिए भी हिसाब में लिया गया है।

यह संशोधन विधेयक के खंड 21 के उपखंड (ख) द्वारा किए गए संशोधन का पारिणामिक है और 1 जून, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 21 आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है जो अन्य स्रोतों से आय से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (vii) के उपखंड (ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, यदि कोई व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब होते हुए कोई निर्धारिती प्रतिफल के बिना या अपर्याप्त प्रतिफल से कोई स्थावर संपत्ति प्राप्त करता है तो उक्त संपत्ति का मूल्य निर्धारिती की आय समझा जाएगा और कराधेय होगा।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (vii) के पूर्वोक्त उपखंड (ख) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 56 की उपधारा (2) का खंड (vii) तभी लागू होगा, यदि स्थावर संपत्ति किसी प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है और अपर्याप्त प्रतिफल से संबंधित अनुबंध को हटाया जा सके।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, “संपत्ति” की परिभाषा के भीतर कतिपय संपत्तियों का वर्णन किया गया है।

उपधारा (2) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण के पूर्वोक्त खंड (घ) के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (vii) ऐसी “संपत्ति” को लागू होगा, जो निर्धारिती की पूंजी आस्ति की प्रकृति की है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त स्पष्टीकरण के खंड (घ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे नया उपखंड (ix) अंतःस्थापित किया जा सके, जिससे कि संपत्ति के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के भीतर “बुलियन” को सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन, 1 जून, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (vii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, यदि कोई निर्धारिती, जो कोई व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, उक्त धारा में परिभाषित नातेदारों से भिन्न व्यक्तियों से प्रतिफल के बिना या अपर्याप्त प्रतिफल से कोई विनिर्दिष्ट संपत्ति प्राप्त करता है तो उक्त संपत्ति का मूल्य निर्धारिती की आय समझा जाएगा और कराधेय होगा।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में नया खंड (viiक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि जहां प्राप्तिकर्ता ऐसी फर्म या कोई कंपनी है, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारतः हितबद्ध है, वहां ऐसी कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारतः हितबद्ध है, के शेयरों में किए गए संव्यवहारों को उसके अंतर्गत लाया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2010 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 22 आय-कर अधिनियम की धारा 72क का संशोधन करने के लिए है जो समामेलन या निर्विलयन, आदि में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनीत या मुजरा करने से संबद्ध उपबंध से संबंधित है।

उपखंड (क) नई उपधारा (6क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है, जो यह उपबंध करती है कि कारबार के उत्तराधिकार की दशा में, जिसके

कारण कोई प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में अधिकथित शर्तों को पूरा करने वाली सीमित दायित्व भागीदारी की उत्तरवर्ती होती है, वहां अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पूर्ववर्ती कंपनी की संचयित हानि और शेष अवक्षयण को उस पूर्ववर्ती वर्ष के लिए, जिसमें कारबार का पुनर्गठन किया गया था, उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी के अवक्षयण के लिए, यथास्थिति, हानि या मोक समझा जाएगा और अवक्षयण के लिए हानि या मोक का मुजरा करने और उसे अग्रनीत करने से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे। तथापि, यदि धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में अधिकथित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी की उस पूर्ववर्ती वर्ष में, जिसमें धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में बताई गई शर्तों का पालन नहीं किया गया है, किए गए अवक्षयण की उस हानि या मोक के मुजरा को, जिसे अनुज्ञात किया गया है, कर से प्रभार्य आय समझा जाएगा।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (7) के खंड (क) और खंड (ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, पूर्वोक्त धारा के प्रयोजन के लिए क्रमशः “संचित हानि” और “शेष अवक्षयण” पदों को परिभाषित करते हैं।

उपखंड (ख), उक्त खंड (क) और खंड (ख) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है जिससे पदों को निम्नानुसार पुनः परिभाषित किया जा सके,—

(क) “संचित हानि” से, यथास्थिति, पूर्ववर्ती फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या प्राइवेट कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन से पूर्व असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी या समामेलक कंपनी या निर्विलयन कंपनी की “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” (जो सट्टे के कारबार से हुई हानि नहीं है) शीर्ष के अधीन उत्तनी हानि अभिप्रेत है जो ऐसी पूर्ववर्ती फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या कंपनी या समामेलक कंपनी या निर्विलयन कंपनी धारा 72 के उपबंधों के अधीन अग्रनीत करने और मुजरा करने की हकदार होती, यदि कारबार का पुनर्गठन या संपरिवर्तन या समामेलन या निर्विलयन न हुआ होता ;

(ख) “शेष अवक्षयण” से, यथास्थिति, पूर्ववर्ती फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या प्राइवेट कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन से पूर्व असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी या समामेलक कंपनी या निर्विलयन कंपनी का उतना अवक्षयण मोक अभिप्रेत है, जो अनुज्ञात रहता है और जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, पूर्ववर्ती फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या कंपनी या समामेलक कंपनी या निर्विलयन कंपनी को अनुज्ञात हुआ होता यदि कारबार का पुनर्गठन या संपरिवर्तन या समामेलन या निर्विलयन न हुआ होता।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 23 आय-कर अधिनियम की धारा 80क का संशोधन करने के लिए है जो कुल आय संगणित करने में की जाने वाली कटौतियों से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि कुल आय की संगणना करने में कटौतियों की संकलित रकम किसी भी दशा में निर्धारिती की सकल कुल आय से अधिक नहीं होगी।

पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने के लिए एक नई उपधारा (7) अंतःस्थापित की जा सके कि जहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट कारबार के लाभों की बाबत “ग— कतिपय आय की

बाबत कटौतियां” शीर्षक के अधीन इस अध्याय के किसी उपबंध के अधीन किसी कटौती का दावा किया जाता है और उसे अनुज्ञात किया जाता है वहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट कारबार को धारा 35कघ के उपबंधों के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 24 आय-कर अधिनियम में नई धारा 80गगच अंतःस्थापित करने के लिए है जो दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों में अभिदाय की बाबत कटौती से संबंधित है।

एक नई धारा अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय-कर अधिनियम के अधीन कर बचत के लिए एक लाख रुपए की विद्यमान सीमा के अतिरिक्त बीस हजार रुपए की राशि, किसी निर्धारिती की जो व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की संगणना करने में विशिष्ट कटौती के रूप में अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि ऐसी रकम 1 अप्रैल, 2011 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय ऐसे दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, अभिदाय के रूप में संदत्त या जमा की गई हो।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 25 आय-कर अधिनियम की धारा 80घ का संशोधन करने के लिए है जो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा 80घ की उपधारा (2) के खंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी निर्धारिती की, जो कोई व्यक्ति है, आय से पूर्ववर्ष में नकद से भिन्न किसी ढंग से, उसके या उसके कुटुंब के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम को, जो कुल मिलाकर पन्द्रह हजार रुपए से अधिक नहीं हो, निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में कटौती किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है।

उक्त खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में किए गए अभिदाय की बाबत कटौती के फायदे को उक्त सीमा के भीतर अनुज्ञात किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 26 आय-कर अधिनियम की धारा 80छछक का संशोधन करने के लिए है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्राम विकास के लिए कतिपय संदायों की बाबत कटौती से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (कक) यह उपबंध करता है कि समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाने वाले किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को किए गए संदान, उस धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र होंगे, यदि ऐसा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित है।

पूर्वोक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि ऐसे किसी अनुसंधान संगम को भी सम्मिलित किया जा सके, जिसका उद्देश्य समाज

विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान करना है और जो धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए तत्समय अनुमोदित है। तदनुसार, ऐसे अनुसंधान संगम को संदत्त कोई राशि पूर्वोक्त धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 27 आय-कर अधिनियम की धारा 80झख का संशोधन करने के लिए है जो अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (10) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी उपक्रम द्वारा 31 मार्च, 2008 से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवासन परियोजना के विकास और निर्माण से व्युत्पन्न लाभों की बाबत सौ प्रतिशत कटौती उपलब्ध होगी। यह और उपबंध किया जाता है कि खंड (क) में जहां किसी आवासन परियोजना को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 1 अप्रैल, 2004 को या जो उसके पश्चात् अनुमोदित किया गया है या किया जाता है, वहां उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें आवासन परियोजना को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, चार वर्ष के भीतर सन्निर्माण को पूरा किया जाना चाहिए।

1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् अनुमोदित किसी आवासन परियोजना को पूरा करने की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (10) के उपखंड (घ) के विद्यमान उपबंधों के अधीन आवासन परियोजना में सम्मिलित दुकानों और अन्य वाणिज्यिक स्थापनों का निर्मित क्षेत्र आवासन परियोजना के संकलित निर्मित क्षेत्र के पांच प्रतिशत या 2,000 वर्ग फुट, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए।

आवासन परियोजना के संकलित निर्मित क्षेत्र की विद्यमान सीमा को परिवर्तित करके आवासन परियोजना के संकलित निर्मित क्षेत्र के तीन प्रतिशत या 5,000 वर्ग फुट, इनमें से जो भी अधिक हो, करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 28 आय-कर अधिनियम की धारा 80झघ का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र में होटलों और कन्वेंशन केंद्रों के कारबार से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के विद्यमान खंड (i) में यह उपबंध है कि उक्त धारा के उपबंध ऐसे किसी उपक्रम को लागू होते हैं, जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित होटल के कारबार में लगा हुआ है, यदि ऐसे होटल का निर्माण 1 अप्रैल, 2007 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय हुआ है और उसने कार्य करना आरंभ किया है या करता है।

उक्त अवधि को 31 जुलाई, 2010 तक विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के विद्यमान खंड (ii) में यह उपबंध है कि उक्त धारा के उपबंध ऐसे किसी उपक्रम को लागू होते हैं, जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित किसी कन्वेंशन केंद्र के निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन के कारबार में लगा हुआ है, यदि ऐसे कन्वेंशन केंद्र का निर्माण 1 अप्रैल, 2007 को आरंभ

होने वाली और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय हुआ है।

उक्त अवधि को 31 जुलाई, 2010 तक विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 29 आय-कर अधिनियम की धारा 115जकक का संशोधन करने के लिए है जो कतिपय कंपनियों से संबंधित समझी गई आय पर संदत्त कर की बाबत कर संबंधी मुजरा से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां कर की किसी रकम का किसी कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 115जख की उपधारा (1) के अधीन संदाय किया जाता है वहां इस प्रकार संदाय किए गए कर के मुजरे को धारा 115जकक के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।

उक्त धारा में नई उपधारा (7) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115जकक के उपबंध ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी को लागू नहीं होंगे, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन किसी प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी से संपरिवर्तित की गई है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 30 आय-कर अधिनियम की धारा 115जख का संशोधन करने के लिए है जो कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी कंपनी की दशा में, यदि 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत आय-कर अधिनियम के अधीन यथा संगणित कुल आय पर संदेय कर उसके बही लाभ के पन्द्रह प्रतिशत से कम है तो ऐसे बही लाभ को निर्धारिती की कुल आय समझा जाएगा और सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय कर ऐसे बही लाभ का पन्द्रह प्रतिशत होगा।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि यदि 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत आय-कर अधिनियम के अधीन यथा संगणित कुल आय पर संदेय कर उसके बही लाभ के अठारह प्रतिशत से कम है तो ऐसे बही लाभ को निर्धारिती की कुल आय समझा जाएगा और सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय कर ऐसे बही लाभ का अट्ठारह प्रतिशत होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 31 आय-कर अधिनियम की धारा 115बड का संशोधन करने के लिए है जो निर्धारण से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, केंद्रीय सरकार, उस धारा की उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के

प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि विवरणियों की कार्यवाही से संबंधित अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। तथापि, ऐसा कोई निदेश 31 मार्च, 2010 के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

समय-सीमा को 31 मार्च, 2010 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2011 तक करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2010 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 32 आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, धारा 10 के खंड (21) में निर्दिष्ट प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, यदि ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम की बाबत कुल आय (धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना) उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है, जो आय-कर से प्रभावी नहीं है, पूर्ववर्ष की ऐसी आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा।

समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान करने के उद्देश्य वाली किसी अनुसंधान संगम से अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा करने के लिए उपधारा (4ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 33 आय-कर अधिनियम की धारा 142क का संशोधन करने के लिए है जो कतिपय मामलों में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्राक्कलन से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां धारा 69 या धारा 69ख में निर्दिष्ट किसी विनिधान के मूल्य या धारा 69क और धारा 69ख में निर्दिष्ट किसी बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु के मूल्य का कोई प्राक्कलन किया जाना अपेक्षित है, वहां निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी से ऐसे मूल्य का प्राक्कलन करने और रिपोर्ट देने की अपेक्षा कर सकेगा।

उक्त उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि निर्धारण अधिकारी को मूल्यांकन अधिकारी से अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का प्राक्कलन करने के लिए भी समर्थ बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 34 आय-कर अधिनियम की धारा 143 का संशोधन करने के लिए है जो निर्धारण से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, केंद्रीय सरकार, उस धारा की उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि विवरणियों की कार्यवाही से संबंधित अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। तथापि, ऐसा कोई निदेश 31 मार्च, 2010 के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

उपखंड (क) समय-सीमा को 31 मार्च, 2010 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2011 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) के परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, निर्धारण अधिकारी उक्त खंड में निर्दिष्ट संगम द्वारा धारा 10 के खंड (21) के उपबंधों के किसी उल्लंघन की केंद्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को सूचना देने की बाध्यता के अधीन है। उपबंध यह भी कथन करते हैं कि निर्धारण अधिकारी धारा 10 की छूट को तब तक वापस नहीं लेगा, जब तक उसके द्वारा विहित प्राधिकारी को सूचना न दे दी गई हो और संगम को मंजूर किया गया अनुमोदन वापस न ले लिया गया हो।

उपखंड (ख) खंड (21) के प्रस्तावित लागू होने को ऐसे अनुसंधान संगम को प्रभावी करने के लिए, जिसका उद्देश्य समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान करना है, पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) के पहले परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है। तदनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान संगम के प्रति निर्देशों को अनुसंधान संगम के प्रतिनिर्देशों से प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव करता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 35 आय-कर अधिनियम की धारा 194ख का संशोधन करने के लिए है, जो लाटरी या वर्ग पहेली से जीत से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी व्यक्ति को किसी लाटरी या वर्ग पहेली या ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से पांच हजार रुपए से अधिक किसी आय का जीत के रूप में संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, प्रवृत्त दरों से ऐसे संदाय पर आय-कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित है।

उक्त सीमा को पांच हजार रुपए से बढ़ाकर दस हजार रुपए करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 36 आय-कर अधिनियम की धारा 194खख का संशोधन करने के लिए है, जो घुड़दौड़ से जीत से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई बुकमेकर या किसी घुड़दौड़ के मैदान में घुड़दौड़ के लिए या घुड़दौड़ के मैदान में सट्टा या दांव लगाने का प्रबंध करने के लिए कोई अनुज्ञप्तिधारी, जो किसी व्यक्ति को किसी घुड़दौड़ से दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक रकम की जीत के रूप में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, प्रवृत्त दरों से ऐसे संदायों पर आय-कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित है।

उक्त सीमा को दो हजार पांच सौ रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 37 आय-कर अधिनियम की धारा 194ग का संशोधन करने के लिए है, जो ठेकेदारों को संदाय से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (5) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, आय-कर की कोई कटौती ठेकेदार के खाते में जमा या उसको संदत्त अथवा

जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभावित किसी राशि की रकम से नहीं की जाएगी यदि ऐसी राशि बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है। तथापि, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान जमा या संदत्त की गई या जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभावित ऐसी कुल राशि पचास हजार रुपए से अधिक है तो ऐसी राशियों का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त सीमा को एकल संव्यवहार के लिए बीस हजार रुपए से बढ़ाकर तीस हजार रुपए और वित्तीय वर्ष के दौरान कुल संव्यवहारों के लिए पचास हजार रुपए से बढ़ाकर पचहत्तर हजार रुपए करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2010 से लागू होंगे।

विधेयक का खंड 38 आय-कर अधिनियम की धारा 194घ का संशोधन करने के लिए है जो बीमा कमीशन से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, आय-कर की कोई कटौती किसी ऐसे मामले में नहीं की जाएगी जहां बीमा कारबार की याचना करने या उसे प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान पाने वाले के खाते में जमा या संदत्त की गई या जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभावित, पारिश्रमिक या इनाम के रूप में, चाहे कमीशन के रूप में हो या अन्यथा, किसी आय की रकम या ऐसी आय की कुल रकम पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है।

उक्त सीमा को पांच हजार रुपए से बढ़ाकर बीस हजार रुपए करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 39 आय-कर अधिनियम की धारा 194ज का संशोधन करने के लिए है जो कमीशन या दलाली से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई कटौती ऐसे मामले में नहीं की जाएगी जहां वित्तीय वर्ष के दौरान पाने वाले के खाते में जमा की गई या उसको संदत्त अथवा जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य, आय की रकम या ऐसी आय की कुल रकम दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है।

उक्त सीमा को दो हजार पांच सौ रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 40 आय-कर अधिनियम की धारा 194झ का संशोधन करने के लिए है जो किराए से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, आय-कर की कोई कटौती ऐसे मामले में नहीं की जाएगी जहां वित्तीय वर्ष के दौरान संदायकर्ता के खाते में जमा की गई या उसको संदत्त अथवा जमा किए जाने या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य, किराए से संबंधित आय की रकम या ऐसी आय की कुल रकम एक लाख बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है।

उक्त सीमा को एक लाख बीस हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख अरसी हजार रुपए करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 41 आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ का संशोधन करने के लिए है जो वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से संबंधित है।

<http://indiabudget.nic.in>

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, आय-कर की कोई कटौती वहां नहीं की जाएगी, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान संदायकर्ता के खाते में जमा की गई या उसको संदत्त अथवा जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य, वृत्तिक सेवाओं या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या स्वामिस्व या धारा 28 के खंड (vक) में निर्दिष्ट किसी राशि से संबंधित ऐसी राशि की रकम या ऐसी राशियों की कुल रकम बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है।

उक्त सीमा को बीस हजार रुपए से बढ़ाकर तीस हजार रुपए करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2010 से लागू होगा।

विधेयक का खंड 42 आय-कर अधिनियम की धारा 201 का संशोधन करने के लिए है जो कर की कटौती करने या संदाय करने की असफलता के परिणाम से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, प्रधान अधिकारी और कंपनी कर की कटौती या संदाय की असफलता की दशा में, ऐसे कर की रकम पर, उस तारीख से जिसको ऐसा कर कटौती योग्य था, उस तारीख तक, जिसको ऐसा कर वास्तव में संदत्त किया जाता है, प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के दायित्वाधीन है और ऐसे ब्याज का संदाय धारा 200 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व किया जाएगा।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि कटौती किए गए किन्तु संदत्त न किए गए कर के लिए उस उपधारा के अधीन प्रभार्य ब्याज को प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत से बढ़ाकर एक सही एक बटा दो प्रतिशत किया जा सके।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 43 आय-कर अधिनियम की धारा 203 का संशोधन करने के लिए है जो कटौती किए गए कर के लिए प्रमाणपत्र से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां कर की कटौती 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार की गई है या उसे संदत्त किया गया है, वहां उस व्यक्ति द्वारा, जिसकी कटौती की गई है, कटौतीकर्ता को पूर्वोक्त धारा की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट प्रमाणपत्र देने की अपेक्षा नहीं है।

आय-कर अधिनियम की धारा 203 की पूर्वोक्त उपधारा (3) का लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 44 आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है जो एलकोहाली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रेप आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (5) के पहले परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां कर पूर्वोक्त धारा के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् संगृहीत किया गया है, वहां प्रमाणपत्र दिए जाने की अपेक्षा नहीं होगी।

आय-कर अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (5) के पूर्वोक्त परंतुक का लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 45 आय-कर अधिनियम की धारा 245क का संशोधन करने के लिए है जो परिभाषाओं से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा के खंड (ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन “मामला” पद से किसी निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों की बाबत किसी व्यक्ति के निर्धारण की ऐसी कोई कार्यवाही अभिप्रेत है, जो उस तारीख को, जिसको धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित हो। यह धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि धारा 153क या धारा 153ग में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में, धारा 153क की उपधारा (1) के खंड (ख) और धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्षों में से किसी के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही इस खंड के प्रयोजनों के लिए निर्धारण की कार्यवाही नहीं होगी।

पूर्वोक्त धारा के खंड (ख) के परन्तुक के खंड (ii) और खंड (iii) का लोप करने का प्रस्ताव है जिससे “मामला” की परिभाषा के भीतर धारा 153क या धारा 153ग में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में, धारा 153क की उपधारा (1) के खंड (ख) और धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही को सम्मिलित किया जा सके।

स्पष्टीकरण का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे कि वह तारीख विनिर्दिष्ट की जा सके जिसको धारा 153क या धारा 153ग में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियां आरम्भ और समाप्त की गई समझी जाएंगी।

ये संशोधन 1 जून, 2010 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 46 आय-कर अधिनियम की धारा 245ग का संशोधन करने के लिए है जो मामलों के समझौते के लिए आवेदन से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन समझौता आयोग के समक्ष कोई आवेदन तभी किया जा सकता है जब आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम तीन लाख रुपए से अधिक नहीं है।

उक्त धारा के परन्तुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे मामलों में, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, दस्तावेजों या किन्हीं अन्य आस्तियों की अध्यक्षता के परिणामस्वरूप निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियां आरम्भ कर दी गई हैं, यदि आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम पचास लाख रुपए से अधिक है, वहां समझौता आयोग के समक्ष कोई आवेदन फाइल किया जा सकता है।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि अन्य मामलों में यदि आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम दस लाख रुपए से अधिक है तो समझौता आयोग के समक्ष आवेदन किया जा सकता है।

ये संशोधन 1 जून, 2010 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 47 आय-कर अधिनियम की धारा 245घ का संशोधन करने के लिए है जो धारा 245ग के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, समझौता आयोग उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन किया गया था, बारह मास के भीतर आदेश पारित करेगा।

पूर्वोक्त उपधारा के खंड (ii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जून, 2010 से पूर्व किए गए किसी आवेदन की बाबत बारह मास की उक्त अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।

उक्त उपधारा में खंड (iii) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग 1 जून, 2010 को या उसके पश्चात् फाइल किए गए आवेदन की बाबत, उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन किया गया था, अठारह मास की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।

ये संशोधन 1 जून, 2010 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 48 आय-कर अधिनियम की धारा 256 का संशोधन करने के लिए है जो उच्च न्यायालय को निर्देश से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, इस आधार पर कि विधि का कोई प्रश्न उद्भूत नहीं हुआ है, मामले का कथन करने से इंकार करने वाले अधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के लिए उपबंध करता है। निर्धारिती या आयुक्त उक्त अवधि के भीतर मामले का कथन करने और उसको निर्दिष्ट करने की अधिकरण से अपेक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा।

नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे उच्च न्यायालय को, छह मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन को ग्रहण करने के लिए सशक्त किया जा सके, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर उसे फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।

यह संशोधन 1 जून, 1981 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 49 आय-कर अधिनियम की धारा 260क का संशोधन करने के लिए है जो उच्च न्यायालय को अपील से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, उच्च न्यायालय को अपील फाइल करने की परिसीमा अवधि के रूप में, उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है, प्राप्ति की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि का उपबंध करता है।

उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे उच्च न्यायालय को एक सौ बीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण करने के लिए सशक्त किया जा सके यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 1998 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 50 आय-कर अधिनियम की धारा 271ख का संशोधन करने के लिए है, जो लेखाओं की लेखापरीक्षा कराने में असफलता से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धारा 44कख के अधीन यथा अपेक्षित किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की बाबत अपने लेखाओं की परीक्षा कराने में या ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में, असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी उस पूर्ववर्ती वर्ष में, यथास्थिति, कारबार में कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियों या वृत्ति में सकल प्राप्तियों के एक बटा दो प्रतिशत के बराबर या एक लाख रुपए की राशि की, इनमें से जो भी कम हो, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

उक्त सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपए करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 51 आय-कर अधिनियम की धारा 282ख का संशोधन करने के लिए है जो दस्तावेज पहचान संख्यांक के आबंटन से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, आय-कर प्राधिकारी किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा जारी की गई प्रत्येक सूचना, आदेश, पत्र या किसी पत्र-व्यवहार को जारी करने से पूर्व, एक कम्प्यूटर जनित दस्तावेज पहचान संख्यांक आबंटित करने के लिए अपेक्षित है और ऐसा संख्यांक उस पर कोट किया जाएगा । यह धारा यह भी उपबंध करती है कि किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकारी की ओर से प्राप्त किए गए प्रत्येक दस्तावेज, पत्र या पत्र-व्यवहार को कम्प्यूटर जनित दस्तावेज पहचान संख्यांक आबंटित और कोट करने के पश्चात् ही स्वीकार किया जाएगा । इस धारा के उपबंध 1 अक्टूबर, 2010 से प्रवृत्त होंगे।

उक्त धारा के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि दस्तावेज पहचान संख्यांक का 1 जुलाई, 2011 को या उसके पश्चात् आबंटित किया जाना अपेक्षित होगा ।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2010 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 52 आय-कर अधिनियम की पहली अनुसूची के नियम 5 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य बीमा कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना से संबंधित है ।

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की धारा 80 के खंड (ii) द्वारा यथा अंतःस्थापित उक्त अनुसूची के नियम 5 के खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार विनिधानों की वसूली में कमी या हानि को पूरा करने के लिए लेखाओं में या तो अपलिखित या उपबंधित किसी रकम की बाबत कटौती के रूप में समायोजन किया जाएगा । बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार विनिधानों के अवक्षयण या उनकी वसूली में अभिलाभों मद्दे लेखाओं में मुजरा की गई किसी रकम की बाबत भी वृद्धि के रूप में समायोजन किया जाएगा ।

उपरोक्त खंड (ख) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिधानों की वसूली में किसी अभिलाभ या हानि को, यथास्थिति, जोड़ा जाएगा या उसकी कटौती की जाएगी, यदि ऐसे अभिलाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा या उससे विकलित नहीं किया गया है और लाभ-हानि लेखे से विकलित विनिधान के मूल्य में कमी के लिए किसी उपबंध को वापस जोड़ा जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

धन-कर

विधेयक का खंड 53 धन-कर अधिनियम की धारा 22क का संशोधन करने के लिए है जो परिभाषाओं से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन “मामला” शब्द से किसी निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों की बाबत किसी व्यक्ति के

निर्धारण की ऐसी कोई कार्यवाही अभिप्रेत है, जो उस तारीख को, जिसको धारा 22ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित हो । इसमें अन्य बातों के साथ यह भी उपबंध है कि निर्धारण वर्षों में से किसी के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की ऐसी कार्यवाही, जो धारा 37क के अधीन तलाशी या धारा 37ख के अधीन अध्यक्ष के आधार पर आरंभ की जा सकेगी, इस खंड के प्रयोजनों के लिए निर्धारण की कार्यवाही नहीं होगी ।

पूर्वोक्त धारा के खंड (ख) के परंतुक के खंड (iii) का लोप करने का प्रस्ताव है जिससे “मामला” की परिभाषा के भीतर निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियों को सम्मिलित किया जा सके, जो धारा 37क के अधीन तलाशी या धारा 37ख के अधीन अध्यक्ष के आधार पर आरंभ की जा सकेंगी।

पूर्वोक्त खंड (ख) के स्पष्टीकरण के विद्यमान उपबंध उस तारीख का उपबंध करते हैं जिसको निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियां प्रारंभ हुई समझी जाएंगी ।

उस तारीख को, जिसको धारा 37क के अधीन तलाशी या धारा 37ख के अधीन की गई अध्यक्ष के अनुसरण में निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियां आरंभ और समाप्त हुई समझी जाएंगी, विनिर्दिष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण का संशोधन करने का और प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 जून, 2010 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 54 धन-कर अधिनियम की धारा 22घ का संशोधन करने के लिए है जो धारा 22ग के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर प्रक्रिया से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, समझौता आयोग उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन किया गया था, बारह मास के भीतर आदेश पारित करेगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जून, 2010 से पूर्व फाइल किए गए आवेदन की बाबत बारह मास की उक्त अवधि के भीतर और 1 जून, 2010 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत, उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन किया गया था, अठारह मास की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2010 से लागू होगा ।

विधेयक का खंड 55 धन-कर अधिनियम की धारा 27 का संशोधन करने के लिए है जो उच्च न्यायालय को निर्देश से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, इस आधार पर कि विधि का कोई प्रश्न उद्भूत नहीं हुआ है, मामले का कथन करने से इंकार करने वाले अधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के लिए उपबंध करता है । निर्धारिती या आयुक्त उक्त अवधि के भीतर मामले का कथन करने और उसको निर्दिष्ट करने की अधिकरण से अपेक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा ।

उपधारा (3ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे उच्च न्यायालय को नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् आवेदन को ग्रहण करने के लिए सशक्त किया जा सके । यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे आवेदन फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।

यह संशोधन 1 जून, 1981 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 56 धन-कर अधिनियम की धारा 27क का संशोधन करने के लिए है जो उच्च न्यायालय को अपील से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की जाती है, प्राप्ति की तारीख से एक सौ बीस दिन को उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने के लिए परिसीमा अवधि के रूप में उपबंधित करता है।

उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे उच्च न्यायालय को, एक सौ बीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण करने के लिए सशक्त किया जा सके। यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 1998 से, भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

सीमाशुल्क

विधेयक का खंड 57 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ख का, “कम उद्ग्रहण स्वीकार किया है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा माल नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन की गई प्रविष्टि में सम्मिलित नहीं है” शब्दों के स्थान पर, “या अन्यथा कम उद्ग्रहण स्वीकार किया है” शब्द प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है।

विधेयक का खंड 58 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ग की उपधारा (6) का, उसमें एक परन्तुक अन्तःस्थापित करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि को समझौता आयोग द्वारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, तीन मास से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

विधेयक का खंड 59 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ठ का, उपधारा (1) में कतिपय संशोधन करने और यह उपबंध करने के लिए उपधारा (2) का लोप करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है कि निर्धारिती उसमें विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में समझौता आयोग के समक्ष किसी अन्य मामले में समझौते के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा।

विधेयक का खंड 60 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 और सा0का0नि0 92(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 का तारीख 26 जून, 2009 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने के लिए है जिससे कि,—

(क) विशेष आर्थिक जोन से घरेलू टैरिफ क्षेत्र या विशेष आर्थिक जोन के गैर-प्रसंस्कृत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा के प्रदाय के संबंध में सीमाशुल्क को दर शून्य से बढ़ाकर 16% किया जा सके और यह उपबंध किया जा सके कि अन्य प्रदायों की बाबत दर शून्य बनी रहेगी ;

(ख) विद्युत ऊर्जा को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहणीय 4% विशेष प्रतिशुल्क से छूट दी जा सके।

सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का खंड 61 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (2) के पहले परन्तुक को स्थापित करने के लिए है जिससे भारत में आयातित किसी वस्तु की दशा में जहां समान वस्तु का उत्पादन और विनिर्माण भारत में होता है या यदि जहां ऐसी समान वस्तु का इस प्रकार उत्पादन या विनिर्माण नहीं होता है तो ऐसी वस्तुओं का वर्ग या विवरण जो आयातित वस्तु का है, जिसके संबंध में बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन आयातित वस्तु की खुदरा बिक्रय कीमत की घोषणा करना अपेक्षित है और जो औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 की अनुसूची के स्पष्टीकरण 3 के खंड (1) के साथ

पठित धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट माल है, ऐसी फुटकर विक्रय कीमत से निर्यातित वस्तु के मूल्य को ऐसी उपशमन रकम, यदि कोई है, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त स्पष्टीकरण के खंड (2) के अधीन ऐसी समान वस्तु की बाबत अनुज्ञात करे, को घटाकर आयातित वस्तु पर घोषित फुटकर विक्रय कीमत समझा जाएगा।

विधेयक का खंड 62 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे कि पहली अनुसूची का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जा सके, जिससे अध्याय 24 और अध्याय 27 की कतिपय टैरिफ मदों से संबंधित प्रविष्टियों को संशोधित किया जा सके।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

विधेयक का खंड 63 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क का, उसकी उपधारा (2ख) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि कम संदत्त शुल्क और उस पर ब्याज के स्वेच्छया संदाय की बाबत कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

विधेयक का खंड 64 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ड का, “कम उद्ग्रहण स्वीकार किया है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा माल नहीं है, जिसकी बाबत निर्धारिती द्वारा अपने दैनिक स्टॉक रजिस्टर में कोई उचित अभिलेख नहीं रखे गए हैं,” शब्दों के स्थान पर, “या अन्यथा कम उद्ग्रहण स्वीकार किया है” शब्द प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है।

विधेयक का खंड 65 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32च का, यह उपबंध करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है कि उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि को समझौता आयोग द्वारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, तीन मास से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

विधेयक का खंड 66 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ण का, उपधारा (1) में कतिपय संशोधन करने और यह उपबंध करने के लिए उपधारा (2) का लोप करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है कि निर्धारिती उसमें विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में समझौता आयोग के समक्ष किसी अन्य मामले में समझौते के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा।

विधेयक का खंड 67 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) में एक नया खंड (xiii) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि केंद्रीय सरकार को शुल्क के अपवंचन और केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुविधाओं को वापस लिए जाने या विनिर्माता या निर्यातकर्ता पर निर्बंधनों के अधिरोपण (जिसके अंतर्गत केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के उपयोग पर निर्बंधन भी हैं) या व्यौहारी के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन के लिए उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का खंड 68 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का, उसमें एक नया नियम 57गग अंतःस्थापित करके, चौथी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से और उसके स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही और तक भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे कि विनिर्माता द्वारा ऐसे अंतिम उत्पादों के, जो शुल्क के लिए प्रभार्य नहीं हैं या शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य हैं, माल की निकासी से पूर्व या पश्चात्, विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों के रूप में मान्य विनिर्दिष्ट शुल्क के प्रत्यय के बराबर

रकम का, चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित संदाय के लिए उपबंध किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन उन मामलों में लागू होगा, जिनकी बाबत 1 सितंबर, 1996 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि (जिसमें ये दोनों दिन सम्मिलित हैं) से संबंधित छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों में या उसके संबंध में अंतःनिवेशों पर प्रत्यय के समायोजन से संबंधित कोई विवाद उस तारीख को लंबित है, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।

विधेयक का खंड 69 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57कघ का भूतलक्षी रूप से पांचवी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से और उसके स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही और तक भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे कि विनिर्माता द्वारा छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में, ऐसे माल की निकासी से पूर्व या पश्चात् प्रयुक्त अंतःनिवेशों के रूप में मान्य केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर के बराबर रकम के चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित संदाय के लिए उपबंध किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन उन मामलों में लागू होगा, जिनकी बाबत 1 अप्रैल, 2000 से आरंभ होने वाली और 30 जून, 2001 को समाप्त होने वाली अवधि (जिसमें ये दोनों दिन सम्मिलित हैं) से संबंधित छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों में या उसके संबंध में अंतःनिवेशों पर प्रत्यय के समायोजन से संबंधित कोई विवाद उस तारीख को लंबित है, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।

विधेयक का खंड 70 केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 6 का छठी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से और उसके स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही और तक भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे कि विनिर्माता द्वारा छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों के रूप में मान्य केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर के प्रत्यय के बराबर रकम का, ऐसे माल की निकासी से पूर्व या पश्चात्, चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित संदाय के लिए उपबंध किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन उन मामलों में लागू होगा, जिनकी बाबत 1 जुलाई, 2001 से आरंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि (जिसमें ये दोनों दिन सम्मिलित हैं) से संबंधित छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों में या उसके संबंध में अंतःनिवेशों पर प्रत्यय के समायोजन से संबंधित कोई विवाद उस तारीख को लंबित है, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।

विधेयक का खंड 71 केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 6 का सातवी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से और उसके स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही और तक भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे कि विनिर्माता द्वारा छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों के रूप में मान्य केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर के प्रत्यय के बराबर रकम का, ऐसे माल की निकासी से पूर्व या पश्चात्, चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित संदाय के लिए उपबंध किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन उन मामलों में लागू होगा, जिनकी बाबत 1 मार्च, 2002 से आरंभ होने वाली और 9 सितंबर, 2004 को समाप्त होने वाली अवधि (जिसमें ये दोनों दिन सम्मिलित हैं) से संबंधित छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों में या उसके संबंध में अंतःनिवेशों पर प्रत्यय के समायोजन से संबंधित कोई विवाद उस तारीख को लंबित है, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।

विधेयक का खंड 72 केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6 का आठवी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से और उसके स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही और तक भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे कि विनिर्माता द्वारा छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों के रूप में मान्य केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर के प्रत्यय के बराबर रकम का, ऐसे माल की निकासी से पूर्व या पश्चात्, चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित संदाय के लिए उपबंध किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन उन मामलों में लागू होगा, जिनकी बाबत 1 सितंबर, 2004 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि (जिसमें ये दोनों दिन सम्मिलित हैं) से संबंधित छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों में या उसके संबंध में अंतःनिवेशों पर प्रत्यय के समायोजन से संबंधित कोई विवाद उस तारीख को लंबित है, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।

विधेयक का खंड 73 केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 5 के अधीन जारी अधिसूचना का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि उक्त नियम 5 के खंड (क) और खंड (ख) में आने वाले “में प्रयुक्त” शब्दों के

स्थान पर, “में या उसके संबंध में प्रयुक्त” शब्द रखे जा सकें। इसके अतिरिक्त यह खंड परिशिष्ट की शर्त 5 में आने वाले दृष्टांत का लोप किया जा सके।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

विधेयक का खंड 74 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का, नौवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में, निम्नलिखित की दृष्टि से,—

(i) टैरिफ प्रविष्टियों का संशोधन करने और अध्याय 24, अध्याय 27, अध्याय 48, अध्याय 50 से अध्याय 63, अध्याय 90 और अध्याय 95 के अंतर्गत आने वाली कतिपय टैरिफ मदों के सामने की कतिपय प्रविष्टियों से संबंधित शुल्क दर में परिवर्तन प्रभावी करने के लिए है; और

(ii) कतिपय प्रक्रियाओं को विनिर्माण की कोटि में आने के बारे में घोषित करने के लिए अध्याय 68 और अध्याय 76 में अंतःस्थापित करने के लिए है।

सेवा-कर

विधेयक का खंड 75 वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का, जो सेवा-कर से संबंधित है, निम्नलिखित रीति में संशोधन करने के लिए है, अर्थात् :—

(1) उपखंड (अ) धारा 65 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि—

(क) “कारबार अस्तित्व”, “विमान पत्तन सेवा” और “पत्तन सेवा” पदों को परिभाषित किया जा सके;

(ख) खंड (105) के उपखंड (यठ), (ययग), (ययठ), (ययड), (ययथ), (यययज), (यययड), (यययण), (यययय), (ययययड), (ययययच) का संशोधन करके कतिपय कराधेय सेवाओं की परिधि को उपांतरित किया जा सके;

(ग) खंड (105) में उपखंड (ययययड) से उपखंड (ययययप) अंतःस्थापित करके नई कराधेय सेवाएं विनिर्दिष्ट की जा सकें।

(2) उपखंड (आ) धारा 66 का ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, संशोधन करने के लिए है, जिससे कि उपखंड (ययययड) से उपखंड (ययययप) में वर्णित सेवाओं को कराधेय सेवाओं के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सके।

(3) विधेयक का उपखंड (इ) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध करने के दृष्टि से उसमें एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के अधीन कोई शास्ति उस उपधारा के अधीन किए गए संदाय की बाबत अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(4) विधेयक का उपखंड (ई) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 95 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि केंद्रीय सरकार को वित्त विधेयक, 2010 के अधिनियमन की तारीख से एक वर्ष तक इस अध्याय में प्रस्तावित विधान द्वारा समाविष्ट की गई किसी कराधेय सेवा के मूल्य को लागू, वर्गीकृत या निर्धारित किए जाने की दशा में कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश जारी करने हेतु सशक्त किया जा सके।

विधेयक का खंड 76 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (यययय) के अधीन स्थावर संपत्ति को किराए पर देने की कराधेय सेवा के संबंध में की गई कतिपय कार्रवाई को विधिमान्य करने के लिए है।

केन्द्रीय विक्रय कर

विधेयक का खंड 77 केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 6क की उपधारा (2) का संशोधन करने की दृष्टि से, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम का संशोधन करने के लिए है जिससे,—

(i) यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी, उस उपधारा के अधीन आदेश करने के लिए, किसी व्योहारी द्वारा प्रस्तुत की गई विशिष्टियों की सत्यता के बारे में अपना समाधान करने के अतिरिक्त अपना यह भी समाधान करेगा कि कोई अंतरराज्यिक विक्रय नहीं किया गया है तथा यह भी उपबंध किया जा सके कि उसमें अंतर्विष्ट इस आशय का समझा गया

उपबंध कि “माल का संचलन विक्रय के परिणामस्वरूप नहीं हुआ है”, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए होगा ; और

(ii) नई उपधारा (3) को अंतःस्थापित किया जा सके जिससे कि यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट कोई बात प्रकट नए तथ्यों के आधार पर निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पुनर्निर्धारण या उच्चतम प्राधिकरण द्वारा इस आधार पर कि निर्धारण प्राधिकरण के निष्कर्ष विधि के प्रतिकूल हैं, पुनरीक्षण से प्रविरत नहीं करेगी और ऐसा पुनर्निर्धारण या पुनरीक्षण राज्य की साधारण विक्रय-कर विधि के उपबंधों के अनुसार किया जा सके ।

विधेयक का खंड 78 केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, में एक नया अध्याय 5क अंतःस्थापित करने के लिए है जो राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण को अपीलों से संबंधित है ।

प्रस्तावित अध्याय नई धारा 18क को अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि धारा 6क की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेशों के विरुद्ध प्रत्येक राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण को अपीलों के लिए उपबंध किया जा सके, जिसके अंतर्गत कर की दर, निर्धारणीय आवर्त की संगणना और शास्ति तथा ऐसे उच्चतम अपील प्राधिकरण के समक्ष प्रक्रिया भी है ।

विधेयक का खंड 79 केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 20 का, उसकी उपधारा (1) प्रतिस्थापित करके, संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण द्वारा स्टोक अंतरण या माल के पारेषण से संबंधित विवादकों का, जहां तक उनमें अंतरराज्यिक प्रकृति का कोई विवाद अंतर्वलित है, अवधारण करने के लिए पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध, अपील प्राधिकरण को होगी और उसके अधीन स्पष्टीकरण का लोप किया जा सके ।

विधेयक का खंड 80 केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है जिससे,—

(क) “पूर्व निक्षेप” शब्द को, जहां-जहां वह आता है, “निक्षेप” शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सके ; और

(ख) प्राधिकरण के लिए किसी राज्य द्वारा संगृहीत कर के प्रतिदाय के लिए निदेश जारी करने का उपबंध करने के लिए नई उपधारा (1ख) अंतःस्थापित की जा सके ।

विधेयक का खंड 81 केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उस धारा की उपधारा (2) के परंतुक का लोप किया जा सके ।

विधेयक का खंड 82 भारत में उत्पादित कोयला, लिग्नाइट और पीट पर, संघ के प्रयोजनों के लिए, उत्पाद-शुल्क के रूप में स्वच्छ ऊर्जा उपकर नामक एक उपकर उद्ग्रहण करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 83 उपकर के उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण, प्रतिदाय और उपयोजन की रीति तथा उपकर से संबंधित किसी अन्य विषय की बाबत भी उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करता है ।

प्रकीर्ण

विधेयक का खंड 84 औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है जिससे किसी विशेष आर्थिक जोन में उत्पादित या विनिर्मित माल को उस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क से अपवर्जित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 85 वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है जिससे कि अध्याय 24 की कतिपय टैरिफ मदों से संबंधित कतिपय प्रविष्टियों का संशोधन किया जा सके ।

विधेयक का खंड 86 वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची का बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है जिससे कि अध्याय 24 की कतिपय टैरिफ मदों से संबंधित कतिपय प्रविष्टियों का संशोधन किया जा सके ।